(a) whether there has been rise in the mental diseases in the country.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to check the increase of such diseases?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Country-wide epidemiological data is not available. However, some hospital statistics show an increase in mental health cases.

(b) There is greater awareness of Psychiatric problems among the public; further migration to Urban areas, overcrowding etc., results in heightened stress.

(c) The following steps are taken:—

(i) To strengthen and expand the existing services for Mental Health Care in the country;

(ii) Implementation of National Mental Health Programme, by which interalia Primary Health Centres' doctors get training to treat mental patients in the country.

(iii) Emphasis on the establishment of State Mental Health Authority.

(iv) Upgradation of Major Mental Health Institutes located at Bangalore (National Institute of Mental Health and Naurosciences) and Delhi (Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Shahdara).

दिल्ली में पंचायत सम्मेलन

2649. **श्री राघवजी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था,

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी, और

(ग) इस पंचायत सम्मेलन का क्या उद्देश्य था और इस उद्देश्य को किस सीमा तक सीमा तक प्राप्त किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में लगभग 6777 लोगों ने भाग लिया और लगभग 4.20 करोड़ रुपये खर्च हुए थे

(ग) सम्मेलन का मूल उद्देश्य महात्मा गांधी के जन्मदिन की 125वीं वर्षगांठ को मनाना और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए सुअवसर प्रदान करना तथा पंचायतों पर उनके दृष्टिकोण एवं विचारों का आदान-प्रदान करना था। सम्मेलन ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं (नीचे देखिये) इन सिफारिशों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

विवरण

इन्दिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 9 व 10 अक्तूबर 1995 को हुए पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन की सिफारिशें

1. **चुनाव**

जहां कहीं पंचायतों का गठन नहीं हुआ है, वहां चुनाव तत्काल कराये जाने चाहिए।

2. **सुपुर्दगी**

पंचायतें गठित करने के बाद उन्हें कार्यशील बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां, कार्य और वित्तीय सुपुर्दगी के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

3. **वित्तीय सहायता**

केवल विषयों को हस्तांरित कर देने से पंचायतें तब तक सक्षम नहीं बन सकती जब तक कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता न दी जाए। इसलिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने तक पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि दिये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

4. **साधनों को जुटाना**

अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए पंचायतों को अधिकार दिये जाने चाहिए और उन्हें गतिशील बनाया जाना चाहिए।

5. **प्रशासन को सुदृढ़ बनाना**

पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और निधियों की अधिक मात्रा में प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रशासनिक और तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बनाया जाए। कर्मचारियों के सभी पद भरे होने चाहिए । ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियोंका एक अलग संवर्ग बनाया जाना चाहिए।

6. **पंचायतों के चुने प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध**

पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने की स्वस्थ परम्परा का विकास करना चाहिये तथा नई व्यवस्था को प्रभावशील ढंग से कार्यान्वित करन के लिए एक दूसरे की भूमिका के प्रति परस्पर सम्मान करने की भावना होनी चाहिए।

7. **प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन**

पंचायतों के नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी भूमिका से पूर्ण परिचित करने के लिए उन्हें सूचना एवं शिक्षा के माध्यम से अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाया जाना चाहिये। इसके लिए समस्त संचार माध्यम का प्रयोग किया जाना चहिए। जागरूकता सृजन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए । इस संबंध में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है कि उन तक सभी सूचना पहुंचें।

8. **स्थायी समितियां**

उपयोगी और शीघ्र निर्णय लेने तथा सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पंचायतों को स्थायी समितियां गठित करनी चाहिये । इन समितियों में महिलाओं अनुसूचित जातियों और जनजतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

9. **जिला आयोजना**

सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और संसाधनोंकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिले की योजना बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. **ग्राम सभा**

ग्राम सभा को एक प्रतिनिधि जनतंत्र के मंच के रूप में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है । इसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिये और उनमें विकास के कार्यो से संबंधित विषयों पर विचार होना चाहिए। ग्राम सभा में स्थानीय लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा होनी चाहिये और इसे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिये । ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का चयन करना चाहिये।

11. **पारदर्शिता**

पंचायतों को स्वशामी संस्थाओं के कार्यो में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करने में अपनी पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिये।

12. **उपेक्षित समूहों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई**

पंचायतों को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समाज के लिए कमजोर वर्गो को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास कार्यो को तेज किया जाए और उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाए। पंचायतों को विशेष रूप से इन वर्गो के प्रति होने वाले सभी प्रकार के शोषण और भेदभाव को समाप्त करने तथा विकास के लाभों का समान वितरण करने के लिए कार्य करना चाहिये।

13. **सामाजिक भागीदारी**

पंचायतों को सामाजिक विकास, विशेष रूप से साक्षरता, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम आदि के लिए लोगों को एक जुट करना चाहिए।

14. **ग्रामीण विवादों का निपटान**

ग्रामीण स्तर के विवादों के समाधान में पंचायतों की भूमिका होनी चाहिए। यह सम्भव है कि ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां दी जाएं । इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और इससे गांवों पर एक सामाजिक दायित्व भी आएगा। ग्राम पंचायतों को विगत में चल रही प्रणाली की गहन समीक्षा करने के बाद गांवों में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इससे पंचायती राज प्रणाली की सामान्य प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विशेष रूप से गांव के दैनिक कार्यो में उनका महत्व बढ़ेगा।

15. **भूमि सुधार**

पंचायतें भूमि सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने और सीमा से अधिक भूमि का उचित वितरण सुनिश्चित करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं ।

16. **जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों के साथ समन्वय**

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों के साथ समन्वय होना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद के मार्गदर्शन के कार्य करना चाहिए । जिला परिषदों के अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदेन अध्यक्ष होने चाहिए ।

17. ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित एवं कार्यान्वित हो रहे सभी गरीबी उन्मूलन कार्य पंचायतों के अधीन होने चाहिए।

18. अखिल भारतीय स्तर पर पंचायतों के आकार, स्वरूप, कर्तव्यों एवं अधिकारों में एकरूपता लाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

19. पंचायती राज संस्थाओं में तालमेल बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर परिषदों का गठन किया जाना चाहिए।

20. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्तपोषित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए।

Regularisation of Unauthorised Colonies

2650. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the New Delhi Municipal Council has decided to provide water and electricity connections to the residents of an unauthorised colony, namely, Anant Ram Dairy;

(b) whether the Ministry had recommended the name of colony for regularisation to Delhi Government in March, 1994;

(c) whether there are still more unauthorised colonies under jurisdiction of New Delhi Municipal Council;

(d) whether the Ministry also propose to recommend these colonies for regularisation to Delhi Government; and

(e) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) Yes, Sir.

(b), (d) and (e) No, Sir. This Ministry takes policy decision about regularisation of unauthorised colonies in Delhi. The unauthorised colonies are regularised by MCD/GNCTD pursuent to the guidelines issued by this Ministry. However, at present in a Civil Writ Petition filed by Common Cause Registered Society, the High Court of Delhi has restrained the respondents, including Union of India, from taking any further decision or action for regularising any unauthorised colony till further orders.

(c) No, Sir.

रेलगाड़ियों में जोड़े जाने वाले डिब्बों की संख्या में वृद्धि

2651. **श्री नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या यात्रियों की भीड़ की तुलना में अपर्याप्त हैं,

(ख) यदि हां, तो सामान्य दर्जे के डिब्बों सहित रेलगाड़ी में लगाए जाने वाले डिब्बों की सख्या कितनी है और क्या उनकी संख्या बढ़ायी जायेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) छुट्टियों, त्यौहारों, मेलों के दौरान कतिपय गाड़ियों में लगाए जाने वाले सवारी डिब्बों की सख्यां पर्याप्त नहीं होती है।

(ख) और (ग) इंजन की वहन क्षमता, प्लेटफार्म, अन्य सुविधाओं और सवारी डिब्बों की उपलब्धता के अनुरूप उन गाड़ियों में एक या दो अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगा करके भीड़ की निकासी के प्रयास किए जाते हैं, ऐसे मौकों पर विशेष गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाती है

Reorganisation of CBI

2652. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in order to dispose of a large number of cases pending investigations with CBI, Government have proposed to reorganised the present structure;